

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI

प्रशासन / ADMINISTRATION

संदर्भ/ Ref. : AD/32/98/Vol.26/ 316

दिनांक/ Date: 07 .06.2023

परिपत्र /CIRCULAR

(C-10/06/2023)

यह सभी संबंधितों के सामान्य सूचना के लिए है कि संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 5 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी 114वीं बैठक में संकल्प संख्या R_114/BOG/7/2023 द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को वर्तमान 03 (तीन) महीने से बढ़ाकर 06 (छह) महीने की अधिकतम समय सीमा के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है, और यह इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

This is for general information of all concerned that the Board of Governors of the Institute, in it's 114th meeting held on April 5th, 2023, vide Resolution No. R_114/BOG/7/2023 approved the proposal for enhancing the time limit for submission of medical reimbursement claims from the present **03(three) months to a maximum time limit of 06 (six) months**.

This is issued with the approval of the Competent Authority of the Institute, and this will be effective from the date of issue of this Circular.

कुलसाचिव (प्रभारी) REGISTRAR(i/c)

प्रति सूचना के लिए प्रेषित/ Copy for information to:

- 1. प्रो निदेशक कार्यालय/ उप निदेशक कार्यालय/ कुलसचिव कार्यालय / Director's Office/Deputy Directors Office/Registrar's Office
- 2. सभी संकाय सदस्य/कर्मचारी/छात्र/शोधार्थी / All Faculty Members / Staff /Students / Research Scholars
- 3. इंट्रानेट / Intranet
- 4. परिपत्र फाइल/कार्यालय आदेश फाइल /Circular File/Office Order File